न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः– 316/2018 निर्णय दिनांक :–07.11.19

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. शंकर लाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
2. महावीर पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
3. श्योजी पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली जिला टोंक।
2. जगदीश पुत्र कजोड़ जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
3. कजोड़ पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
4. नानूलाल पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
6. भूरी पुत्री कालू जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
7. विनोद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
8. गजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
9. सरोज पुत्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
10. रविना पुत्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
11. सुशिला पत्नि रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
12. रामकिशन पुत्र छितर जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
13. लाडा देवी पत्नि रामनारायण जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
14. हरिनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
15. रामकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
16. कवंरीलाल पुत्र उरजना जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।
17. मनोहर पुत्र लाडू जाति गुर्जर निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1

प्रार्थनापत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1675 रकबा 1.04 है0, खसरा नम्बर 1690 रकबा 1.82 है0, खसरा नम्बर 1692 रकबा 1.81 है0, खसरा नम्बर 1689 रकबा 1.86 है0, खसरा नम्बर 1691 रकबा 1.91 है0 जो वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर

साबिक नम्बर 1718 व 1719 से बने है। देवली तहसील मे हुए सेटलमेंट के दौरान साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस बनाई गई है। जिसमें उक्त वर्णित आराजी का क्षैत्रफल कम दर्शाया गया है जो साबिक सीट से मिलान करने पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 1690 एवं 1675 जिनका रकबा क्रमशः 1.82 है0 व 1.04 है0 की नक्शा ट्रेस मे रकबा कम कर दिया गया। जबकि मौके पर प्रार्थीगण जमाबंदी में वर्णित रकबे पर काबिज–काश्त है। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियो ने लिपिकीय भूल करते हुए प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1690 व 1675 का रकबा नक्शा ट्रेस में कम कर दिया है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 12 व 16 उपस्थित हुए और जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र के चरण नं0 1 मे वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड से संबंधित है इसलिए जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 मे वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड से संबंधित है इसलिए जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 5 का जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 6 कानूनी के कानूनी है इसलिए जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 7 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड की दुरस्ती कर दी जाति है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 व 5 ता 6 को स्वीकार और चरण नं. 2 ता 5 को अस्वीकार किया ओर बताया कि वादी के कथन मिलान क्षैत्रफल व तरमीम सीट में व हाला नक्शा शीट में कोई अन्तर व कितना रकबा कम हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। वाद में पूर्व के खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर में अन्तर साफ नहीं है। वाद खारीज योग्य है।

तहसीलदार देवली से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ख. नं. 1690 व 1675 तथा उनके पूर्व दिशा में स्थित ख. नं. 1680, 1679, 1669/2110, 1678, 1678/2095, 1677, 1676, 1690, 1675 के मध्य एक पुरानी पुख्ता मेड़ डली हुई है जिसे काट कर भूमि काश्त कर ली गई है तथा शंकर पुत्र गोपी ने शीट से मिलाने पर पाया गया कि वर्तमान शीट में ख. नं. 1690 व 1675 का रकबा कम हो गया है जिसके कारण उक्त ख. नं. के पूर्वी दिशा की आरे के काश्तकार पश्चिमी दिशा की ओर के काश्तकारों की सीमा में घुसना चाहते है जबकि पुरानी मेंड़ जो नवीन नक्शे से पूर्व की निर्मित है वर्तमान समय में भी मौके पर मौजूद है। पूर्वी दिशा के काश्तकारो ने लगभग 15 से 20 फीट जिगजेग पश्चिम मेंड़ को तोड़कर अपने खेतो में मिला लिया है तथा आगे बढाकर पश्चिमी दिशा के काश्तकारो की खातेदारी भूमि में अपना हक जता रहे है। क्योंकि वर्तमान नक्शा शीट में मेड़बन्दी पुराने पेड़बन्दी से हटकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण डाली हुई है। पुरानी नक्शा शीट के अनुसार मौके पर मेड़बन्दी वर्तमान में भी कायम है। लेकिन सहवन से या त्रुटिवश नयी नक्शाशीट में गलती होने के कारण मेंड़बन्दी की सीमा में परिवर्तन होने के कारण खातेदारों में आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है।

शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि ख. नं. 1690 व 1675 के आसपास के खसरा नम्बर 1680, 1679, 1669/2110, 1678, 1678/2095, 1677, 1676, 1690, 1675 के खातेदारो द्वारा मेड़ तोड़कर अपनी जमीन को ख. नं 1690 व 1675 के अन्दर लगभग 25–30 बढा लिया और सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उसी अनुसार तरमीम कर दी जो वर्तमान नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस में स्पष्ट रूप से दिखती है, जिसको दुरूस्त करना आवश्यक है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2067–70, व मिलान क्षैत्रफल सम्बव 2046–2065 का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि ख. नं. 1718 व 1719 मिन से ख. नं. 1690 व 1675 जिनका रकबा क्रमशः 1.82 है0 व 1.04 है0 बने है। वर्तमान नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस में रकबा में अन्तर दृष्गिोचर होता है। अतः तहसीलदार देवली को आदेश दिया जाता है कि ख. नं. 1690 व 1675 जिनका रकबा क्रमशः 1.82 है0 व 1.04 है0 का रकबा जिन– जिन खसरा नम्बरो में जुड़ गया है, की जांच कर ख. नं. 1690 व 1675 का साबिक नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी के अनुसार वास्तविक रकबा मौके पर पूर्ण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली